


राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
कमांक :- प.25(5)आयु./2020 पार्ट जयपुर, दिनांक :- 11.06.2020
निदेशक
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
जयपुर

विषय- Clinical Research Project in the Containment Zone Population के परिप्रेक्ष्य में।
संदर्भ- आपका पत्रांक 547 दिनांक 08.06.2020।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषानुसार, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को राजस्थान राज्य के 6 जोन (जयपुर अ, जयपुर ब, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं टोंक) के Containment Zone में Collaborative Research Project (An Open Label, Multi Centric, Randomized, Comparative, Prospective, Interventional Community based Clinical Study to Evaluate Safety and Efficacy of Guduchi Ghana Vati as a Preventive Remedy on Healthy Individuals in Pandemic of COVID-19) की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उपर्युक्त कार्यवाही में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.04.2020 के में विहित प्रावधानों एवं शोध/ अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इस आशय के समय समय पर जारी सम्पूर्ण परिपत्रों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय


(आर.पी. चतुर्वेदी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
4. जिला कलक्टर जयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/ कोटा/ टोंक को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

11
(बाबू लाल मीना)
सहायक शासन सचिव